न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 08/2020
रजिस्ट्रेशन नं. :2020/0004

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

श्री नारायणलाल पुत्र श्री लाभचन्द जाट जाति जाट मालिक विक्रेता मैसर्स प्रेम मेवाड आईसक्रीम मेन रोड घाटोल जिला बॉसवाडा स्थायी पता – बाजीया की खेडी पो. बागौर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)।

उपस्थित :–

श्री नारायणलाल पुत्र श्री लाभचन्द जाट

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 12–02–2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 18–12–2019 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 14–06–2019 को 12.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स प्रेम मेवाड आईसक्रीम मेन रोड घाटोल पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री नारायणलाल पुत्र श्री लाभचन्द जाट उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान पर करीब 10 लीटर आईसक्रीम (काजु–अंजीर से निर्मित) आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त आईसक्रीम (काजु–अंजीर से निर्मित) 1200 ग्राम साफ, सूखी एवं खाली स्टील की भगोनी में जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 400 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन–2019 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा 1200 ग्राम आईसक्रीम (काजु–अंजीर से निर्मित) को चार साफ, सुखी व खाली कॉच के जारो में बराबर–बराबर भरकर फार्मेलीन की 36 बूंद प्रत्येक में डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया आईसक्रीम (काजु–अंजीर से निर्मित) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 10–01–2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 12–02–2020 को अभियुक्त श्री नारायणलाल पुत्र श्री लाभचन्द जाट जाति जाट मालिक विक्रेता मैसर्स प्रेम मेवाड आईसक्रीम मेन रोड घाटोल जिला बॉसवाडा ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत

किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 30–08–2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया आईसक्रीम (काजु–अंजीर से निर्मित) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया आईसक्रीम (काजु–अंजीर से निर्मित) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत् आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री नारायणलाल पुत्र श्री लाभचन्द जाट जाति जाट मालिक विक्रेता मैसर्स प्रेम मेवाड आईसक्रीम मेन रोड घाटोल जिला बॉसवाडा को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 12–02–2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बॉसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.02.17 10:48:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: